

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 491


दिनांक:- 23/02/2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 448 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा माह मार्च, 2024 में राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में जयपुर व बस्सी मुख्यालय पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 176 दं.प्र.सं., 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय पर स्थित विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए प्रशासनिक कारणों से निम्न राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर मुख्यालय पर आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
जयपुर व बस्सी मुख्यालय हेतु			
1.	17.03.2024	एम.एम., ईस्ट जयपुर महानगर प्रथम	संध्या पूनिया, आर.जे.एस. मो० नं० 93588-98620
2.	25.03.2024	एम.एम., क्रम-02, जयपुर महानगर प्रथम	आशीष बैन्दाड़ा, आर.जे.एस. मो० नं० 97859-60721
3.	माह मार्च, 2024 में दिनांक 16.03.2024 से 31.03.2024 तक आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन तथा उक्त अवधि में राजकीय अवकाशों के दिन आवश्यक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये अधिकारी में से किसी अधिकारी के अचानक अवकाश पर रहने पर।	एम.एम., क्रम-02, जयपुर महानगर प्रथम	आशीष बैन्दाड़ा, आर.जे.एस. मो० नं० 97859-60721



मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 492 + 499

दिनांक:- 23/02/2024

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
- न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट ईस्ट/02, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।